लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)

श्री सुरेश कुमार जटिया निवासी 393 किरण कलेक्शन, कालका माता रोड़, पापड़ा, उदयपुर

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़

किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रकरण संख्या 05 /2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/01/2019	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी श्री सुरेश कुमार जटिया वर्तमान पता 393 किरण कलेक्शन, कालका माता रोड़, पापड़ा, उदयपुर ने सूचना प्राप्ति हेतु एक आवेदन लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ के यहां दिनांक 26.11.2018 को प्रेषित किया। उक्त आवेदन में अंकित सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) ने उक्त आवेदन धारा 6(3) के तहत अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2018/2024 दिनांक 26.11.2018 से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद चित्तौड़गढ़ को स्थानान्तरित करते हुए उसकी प्रति अपीलार्थी को भी उपलब्ध करा दी गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थी को समय पर सूचना उपलब्ध नही कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं संलग्न अनुलग्नक का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र से जिला परिषद चित्तौड़गढ़ से संबंधित सूचनायें चाही गई। जिला परिषद चित्तौड़गढ़ के लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चित्तौड़गढ़ तथा अपीलीय अधिकारी स्वयं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद चित्तौड़गढ़ हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि यह कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नही कराने पर ही अपील ग्रहण करता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद चित्तौड़गढ़ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी के अन्तर्गत नही आते हैं। चूंकि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद चित्तौड़गढ़ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी में नही आते हैं, जिससे प्रस्तुत अपील पर इस कार्यालय द्वारा सुनवाई नही की जा सकती है। अतः अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद चित्तौड़गढ़ के यहां अपील प्रस्तुत करने तथा अपीलीय प्राधिकारी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चित्तौड़गढ़) द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। (शिवांगी स्वर्णकार)	जा.श्री 9-1-19

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official